न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-179/2019 दायर दिनांक 27.11.2019
CMS NO:- 2019/00528
पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

हजारी पुत्र काल्या जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—प्रार्थी—

बनाम

1. प्रभू पुत्र छोगा जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. हरिशंकर पुत्र प्रभू जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हनुमान पुत्र प्रभू जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
5. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवॉं जिला बून्दी।

—प्रत्यार्थीगण—

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी कीभूमि खसरा संख्या 380/01–16, 384/00–06 तथा 1116/385/00–07 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है एवं चाह संख्या 372 में कुआ स्थित है। यह कि ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 380 पर आने जाने का एक मात्र 15 फीट चौडा रास्ता ग्राम फतेहगंज से चलकर ग्राम कांकरिया जाने वाले ग्रेवल रोड से होता हुआ खसरा संख्या 375 के पश्चिमी दिशा की मेड के अन्दर सहारे सहारे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चलकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 380 एवं कुवे पर पहुंचता है। जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगण ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक पील्लर गाडकर रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि 380, 384 व 1116 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 375 में से रकबा 50 गठठ्ा • 2 गठठ्ा = 100 वर्गगठठ्ा = रकबा 05 बिस्वा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में बिन्दू A से B तक लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट जरखोदा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। प्रार्थी को ... जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को ... रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दिया जाना उचित बताया है। ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी कीभूमि खसरा संख्या 380/01–16, 384/00–06 तथा 1116/385/00–07 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 375 में से रकबा 50 गठठ्ा • 2 गठठ्ा = 100 वर्गगठठ्ा = रकबा 05 बिस्वा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है जिसे प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में बिन्दू A से B तक लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ "क" नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner